शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) सम्पदा निदेशालय के नियंत्रणाधीन सामान्य पूल क्वार्टरों की अचानक जांच के दौरान, गत तीन वर्षों में सबलेटिंग की संभावना वाले क्वार्टरों की संख्या 5175 है।

(ख) और (ग) सरकारी आवास (दिल्ली में सामान्य पूल) आबंटन नियमावली 1963 के प्रावधानों के अनुसार, यदि किसी अधिकारी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से कोई आवास तैनाती स्थान अथवा समीपवर्ती नगर पालिका में है और यदि निजी आवास से उसकी किराए की आय क्रमशः 3000 रु० 5000 रु० प्रति माह से अधिक है तो लाइसेंस शुल्क का क्रमशः दुगुना/तिगुना भुगतान करने पर वह सरकारी आवास आबंटन का पात्र है।

(घ) आबंटन नियमावली/सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया को अपनाते हुए संदिग्ध सबलेटिंग के सभी मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे और जनवरी 1996 से दिसम्बर 1997 तक 1871 क्वार्टरों का आबंटन निरस्त कर दिया गया है और 710 क्वार्टर खाली कराए गए।

Handing over of DDA land to Private Developers

3651. SHRI GAYA SINGH:
SHRI JALALUDIN ANSARI:

Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have decided to handover DDA land to private developers to be developed by them;

(b) if so, the details and the reasons therefor; and

(c) whether it is a fact that thousands of DDA employees are likely to become redundant following this decision of Government?

THE MINISTER OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI RAM JETHMALANI) (a) No such decision has been taken.

(b) and (c) Do not arise.

Poor water supply in Kidwai Nagar

3652. SHRI AMAR SINGH: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item appearing in the 'Hindustan Times' dated 1st May, 1998, under the heading "Water supplied to Kidwai Nagar highly infectious" and if so, the details thereof;

(b) what are the names of other colonies in Delhi, which have been affected; and

(c) the remedial steps Government have taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): (a) to (c) Yes, Sir. The news item has appeared in 'The Times of India' dated 1st May, 1998. Delhi Jal Board has not received any report/complaint of contamination of water from Kidwai Nagar and adjoining areas around 1st May, 1998. However, on the basis of Press reports the Board collected 16 water samples from Kidwai Nagar on May 1-2, 1998. All the samples were found bacteriologically satisfactory. 4 water samples collected from Masjid Moth, 4 water samples from South Extension & 2 samples from Safdarjung Hospital were also found to be satisfactory. In all 39 water samples were collected from these areas and AIIMS. It was found that 5 water samples collected from internal distribution system of AIIMS were bacteriologically unsatisfactory. The internal distribution system of water is maintained by AIIMS. The water samples collected at the inlet of the underground tank were found to have free residual chlorine at the level of 1.25 mg/ltr. which was found to be nil in the distribution network from the tank. The water being supplied by Delhi Jal Board in bulk to AIIMS is mixed with tubewell water by AIIMS. AIIMS has been advised to ensure that water being mixed by them in the underground tank,

through the tubewell, conforms to the standards laid down.

Unauthorised construction in Government quarter of Babar Place

3653. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the details of the complaints received regarding unauthorised constructions made in Government quarters in New Delhi especially in Babar Place, New Delhi during the last six

दिल्ली में पेयजल की आपूर्ति

3654. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 अप्रैल, 1998 के दैनिक समाचार-पत्र "दि पायनियर" में प्रकाशित समाचार "पूअर क्वालिटी वाटर इन डेलही सिन्स 90 सी०ए०जी०" की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार दिल्ली में आम आदमी को उपलब्ध कराया जा रहा पानी न केवल अपर्याप्त है अपितु दूषित भी है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त मामले पर विचार करने के उपरांत कोई तत्काल कार्रवाई की गई है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि देल्ली में पीने के पानी 800 मिलियन गैलन प्रतिदिन की मांग की तुलना में प्रतिदिन लगभग 600 मिलियन गैलन पीने का पानी सप्लाई किया जा रहा है। इस प्रकार करीब 200 मिलियन गैलन प्रतिदिन की कमी है। तथापि बोर्ड द्वारा सप्लाई किया जा रहा पानी पीने योग्य, साफ तथा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप है।

पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:—

(i) यमुना नदी के पानी के बंटवारे के लिए संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्रियों के बीच एक अंत: राज्य समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ii) नांगलोई में 40 एम जी डी जल शोधन संयंत्र का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है।

(iii) बवाना में 20 एम जी डी जल शोधन संयंत्र का निर्माण कार्य शुरू किया गया है।

(iv) लाइनों की क्षति को रोकने के लिए मुनाक से हैदरपुर जल शोधन संयंत्र तक समानांतर लाइनों के निर्माण का प्रस्ताव है।

(v) बकारवाला में 100 एम जी डी जल शोधन संयंत्र का निर्माण का प्रस्ताव है।

(vi) यमुना पार क्षेत्र के सोनिया विहार में 140 एम जी डी जल शोधन संयंत्र के निर्माण का प्रस्ताव है।

(vii) पीने के पानी के समान वितरण के लिए वितरण प्रणाली को तर्कसंगत बनाने का कार्य आरंभ किया गया है।

(viii) दिल्ली वासियों को सप्लाई किए जा रहे पीने के पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पानी के 250—800 नमूने प्रतिदिन लेकर प्रयोगशालाओं में उनकी जांच की जाती है।

राजधानियों में झुग्गियों में रहने वाली आबादी

3655. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न प्रांतों की राजधानियों में कुल कितने प्रतिशत आबादी झुग्गियों में रहती है;

(ख) झुग्गियों में रहने वाली कुल आबादी में से कितने प्रतिशत लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(ग) इनका शहर-वार ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) 1991 की जनगणना के आधार पर नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन (टी०सी०पी०ओ०) के अनुभागों के अनुसार विभिन्न राज्यों की राजधानियों की 28% जनसंख्या स्लम में रह रही है।

(ख) 1997-98 के दौरान एनवायरमेन्टल इम्प्रूवमेंट आफ अर्बन स्लम्स (ई०आई०यू०एस०) स्कीम के अन्तर्गत 13.15 लाख स्लम वासियों को अपने रहन-सहन की